राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

यू. ओ. नोट

संदर्भः–इस विभाग का यू.ओ.नोट क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः01.01.18

जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) अधिनियम, 2017 की धारा 10 की अनुपालना में आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 18) की धारा 7 सपठित आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोजना विभाग की अधिसूचना कमांक एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014, दिनांक 06.02.2017 की निरन्तरता में जारी अधिसूचना दिनांक 05.12.2017 तथा परिपत्र–21, दिनांक–24.05.2017 में विभिन्न जनकल्याणकारी नगद व गैर नगद लाभ की योजनाओं के भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ प्रदान करने हेतु आधार अधिप्रमाणन करवाने अथवा आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिये अधिसूचित किया गया है जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक 30.06.2017 निर्देशित की गई थी।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट पिटिशन (सिविल) नं. 494 (2012) एवं अन्य में दिनांक 15.12.2017 दिए गए निर्णय कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं, मोबाईल तथा बैंक खाते से आधार लिंकिंग का कार्य 31 मार्च 2018 तक पूर्ण करना है। राज्य सरकार के लिए उपरोक्त तीनों स्थितियाँ (योजनाओं में लाभार्थियों के डेटाबेस, उनके मोबाईल तथा बैंक खाते के साथ आधार की लिंकिंग) अतिमहत्त्वपूर्ण हैं। अतः आप अपने विभाग द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं जिनकी प्रदायगी भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही है उनमें आधार लिंकिंग का कार्य दिनांक 31 मार्च 2018 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें अन्यथा लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बन्द हो जायेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28 मार्च 2018 (प्रति सलंग्न) के कम में विभिन्न योजनाओं जिनकी प्रदायगी भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही है उनमें आधार लिंकिंग का कार्य दिनांक 31 मार्च 2018 के स्थान पर दिनांक 30.06.2018 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव,
आयोजना व सू.प्रौ. एवं संचार विभाग

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/आयुक्त।

यू.ओ. नोट क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः 26.04.2018

No.10 (27)/2016-EG-II
Government of India
Ministry of Electronics and Information Technology
(E-Governance Division)

Electronics Niketan,
6 CGO Complex,
New Delhi-110003
Dated: 28th March, 2018

OFFICE MEMORANDUM

Subject: -Extension of stipulated date for Aadhaar Enrolment as mentioned invariousNotifications issued by Central Ministries under Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 upto 30th June, 2018.

In reference to this Ministry's OM of even No. dated 07.12.2017 on the subject, the date '**31st March, 2018**' as mentioned in Para 3 (at two places) may be read as '**30th June, 2018**'.

2. All other conditions of the said OM shall remain same.

(Rakesh Maheshwari)
Group Coordinator (Cyber Law & UIDAI)

To Secretaries to Government of India
All Central Ministries/Departments